

क्रम संख्या—230

पंजीकृत संख्या—यूए०/डौ०ए०-30/2006-08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विडाउट फ्रीप्रेमेन्ट)

इह एक लाइसेन्स एवं ई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हें जारी किया गया है। इसके अन्तर्गत इन्हें एक लाइसेन्स दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत इन्हें एक लाइसेन्स दिया जाएगा।

उपर (१) लाइसेन्स के दाइरे में दिया गया है। इसके अन्तर्गत इन्हें एक लाइसेन्स दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत इन्हें एक लाइसेन्स दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत इन्हें एक लाइसेन्स दिया जाएगा।



मुख्यमंत्री गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बुधवार, 19 नवम्बर, 2008 ई०

कार्तिक 28, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 159 / XXXVI(3) / 2008

देहरादून, 19 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2008 पर दिनांक 15 नवम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अध्यादेश सं० 03, सन् 2008 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971]

(संशोधन) अध्यादेश, 2008

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2008)

[भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष में अग्रेतर संशोधन करने के लिए—

अध्यादेश

चूँकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2008 है।

धारा 3 में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अतःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात्—

- (1) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।
- (2) सम्पूर्ण रोजगार गारन्टी योजना अनुश्रवण परिषद्।
- (3) समेकित बाल विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।
- (4) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं सलाहकार परिषद्।
- (5) राज्य बागवानी बोर्ड।
- (6) जलागम प्रबन्ध परियोजनाये अनुश्रवण विकास परिषद्।
- (7) उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद्।
- (8) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण।
- (9) अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद्।
- (10) जनजाति क्षेत्र विकास परिषद्।
- (11) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्।
- (12) राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।
- (13) राज्य ऊर्जा सलाहकार परिषद्।
- (14) राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद्।
- (15) आवास एवं विकास परिषद्।
- (16) शहरी विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।
- (17) सर्व शिक्षा अभियान विकास एवं अनुश्रवण परिषद्।
- (18) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें अनुश्रवण परिषद्।
- (19) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।
- (20) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (गढ़वाल मण्डल)।
- (21) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (कुमाऊँ मण्डल)।
- (22) पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।
- (23) समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति।
- (24) हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद्।

- (25) राज्य जैविक उत्पाद परिषद।
- (26) उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड।
- (27) वन एवं पर्यावरण सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद।
- (28) राज्य फिल्म सलाहकार परिषद।

बी० एल० जोशी,
राज्यपाल।

आङ्ग से,

श्रीमती हर्षिणी आशीष,
प्रभुत्व सचिव।

No. 159/XXXVI(3)/2008
Dated Dehradun, November 19, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Ordinance, 2008 (Uttarakhand Adhyadesha Sankhya 03 of 2008).

As promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented to on November 15, 2008.

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ORDINANCE, 2008
(UTTARAKHAND ORDINANCE NO. 3 OF 2008)

[Promulgated by the Governor in the Fifty Ninth year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand.

WHEREAS, The State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:--

- | | Short Title and Commencement | Amendment in Section 3 |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1. (1) This Ordinance may be called The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Ordinance, 2008. | | |
| (2) It shall come into force at once. | | |
| 2. In addition to the existing bodies in Clause (x) of Section 3 of The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the following bodies shall be inserted, namely-- | | |

- (1) Sampurna Saksharta Karyakram Anushrawan Parishad.
- (2) Sampurna Rojgaar Garanty Yojna Anushrawan Parishad.
- (3) Samekit Bal Vikaas Pariyojna Anushrawan Parishad.
- (4) Rashtriya Gramin Swasthyaya Avam Salahakar Parishad.
- (5) Rajya Bagwani Board.
- (6) Jalagam Prabandh Pariyojnayen Anushrawan Vikaas Parishad.
- (7) Uttarakhand Rajya Stariya Payjal Anushrawan Parishad.
- (8) Uttarakhand Akshay Urja Vikaas Abhikaran.
- (9) Anucuchit Jati/Janjati Vikaas Parishad.
- (10) Janjati Kshetra Vikaas Parishad.
- (11) Pradhanmantri Gramin Sarak Yojna Rajya Stariya Anushrawan Parishad.
- (12) Rajya Khadya Avam Nagrik Apurti Salahakar Avam Anushrawan Parishad.
- (13) Rajya Urja Salahakar Parishad.
- (14) Rajya Vanya Jeev Salahakar Parishad.
- (15) Avas Avam Vikaas Parishad.
- (16) Shahari Vikaas Pariyojna Anushrawan Parishad.
- (17) Sarwa Shiksha Abhiyan Vikaas Avam Anushrawan Parishad.
- (18) Gramin Abhiyantaran Sewayen Anushrawan Parishad.
- (19) Seemant Kshetra Karyakram Anushrawan Parishad.
- (20) Rajya Stariya Laghu Seenchai Anushrawan Parishad (Garhwal Mandal).
- (21) Rajya Stariya Laghu Seenchai Anushrawan Parishad (Kumaun Mandal).
- (22) Pandrah Sutriya Karyakram Kriyanwayan Samiti.
- (23) Samaj Kalyan Yojnayen Anushrawan Samiti.
- (24) Hathkargha Avam Hastshilp Vikaas Parishad.
- (25) Rajya Jevik Uttrad Parishad.
- (26) Uttarakhand Live Stock Development Board.
- (27) Van Avam Paryawaran Salahakar Avam Anushrawan Parishad.
- (28) Rajya Film Salahakar Parishad.

B. L. JOSHI,

Governor.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,

Principal Secretary.